न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :GCMS NO. 2022/86
दायरा तिथि : 10.03.2022
आदेश दिनांक: 10-10-2022

प्रार्थीगण :–

स्व. समा पुत्र सोभाजी जाति जणवा चौधरी(सिरवी) के वारिश:–

1. स्व. वागाराम पुत्र समाजी के कायम मुकाम वारिसान:–
   1/1 मानाराम पुत्र वागारामजी
   1/2 हेमाराम पुत्र वागारामजी
   1/3 देवी पुत्री वागारामजी पत्नि बालारामजी
2. स्व0 घीसाराम पुत्र समाजी के कायम मुकाम वारिस:–
   कन्या पुत्री घीसारामजी पत्नि मोतीलालजी बेरा थुबडा सादडी
   तमाम जाति से जणवा चौधरी, निवासीगण मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. स्व. फता पुत्र सोभाजी के कायम मुकाम वारिस:–
   1/1 गजाराम उर्फ गणाराम पुत्र फताजी
   1/2 स्व. पोमाराम पुत्र फताजी के कायम मुकाम वारिस:–
   1/2/1 रामाराम पुत्र पोमाराम
   1/2/2 समाराम पुत्र पोमाराम
   1/2/3 टीपू पुत्री पोमाराम
2. स्व. गेना पुत्र सोभाजी के एक मात्र वारिस स्व. लखमाराम पुत्र गेनाजी के कामु वारिसान:–
   2/1 कानाराम पुत्र लखमाराम
   2/2 स्व. धनाराम पुत्र लखमाराम के कायम मुकाम वारिस:–
   2/2/1 फुआराम पुत्र धनाराम
   2/2/2 राईगाराम पुत्र धनाराम
   2/2/3 पेपीबाई पुत्री धनाराम
   2/2/4 लसीबाई पुत्री धनाराम
   2/2/5 वालीबाई पत्नि स्व. धनाराम
3. स्व. खुमा पुत्र सोभाजी के कायम मुकाम वारिसान:–
   3/1 स्व. पुराराम पुत्र खुमाजी के कायम मुकाम वारिसान:–
   3/1 स्व. पुराराम पुत्र खुमाजी के कायम मुकाम वारिसान:–
   3/1/1 पनाराम पुत्र पुराराम
   3/1/2 भीकाराम पुत्र पुराराम
   3/1/3 पुनाराम पुत्र पुराराम
   3/1/4 केसी पुत्री पुराराम
   3/1/5 मगी पुत्री पुराराम
   3/2 स्व. सजाराम पुत्र खुमाजी के एक मात्र वारिस:
   वकाराम पुत्र सजारामजी
4. स्व. कुपा पुत्र रूपाजी के कायम मुकाम वारिसान:–
   4/1 भुराराम पुत्र कुपाजी
   4/2 वगताराम पुत्र कुपाजी
   4/3 स्व. केसा पुत्र कुपाजी के एक मात्र वारिस:
   मालाराम पुत्र केसाजी
5. स्व. लुम्बा पुत्र रूपाजी के कायम मुकाम वारिसान:–
   5/1 उदाराम पुत्र लुम्बाजी
   5/2 वीरमाराम पुत्र लुम्बाजी
   5/3 पुराराम पुत्र लुम्बाजी
   5/4 टीपूबाई पुत्री लुम्बाजी
   5/6 मालीबाई पुत्री लुम्बाजी तमाम जाति से जणवा चौधरी
   निवासीगण मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
6. राजू पुत्र केसाजी बोराणा जाति घांची
7. विमल पुत्र केसाजी बोराणा जाति घांची
   निवासी मुण्डारा हाल नाला सौपारा वसई जिला ठाणे महाराष्ट्र
8. पुष्पा पत्नि पप्पुराम जाति जणवा चौधरी निवासी बिलिया तहसील बाली जिला पाली
9. बाबुलाल पुत्र हकारामजी जाति जणवा चौधरी निवासी डूँगली तहसील बाली
10. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :GCMS NO. 2022/86

अनवान स्व. समा पुत्र सोभाजी के कामु. स्व. वागाराम के कामु: मानाराम यगैरा **बनाम** स्व. फता पुत्र सोभाजी के कामु. गजाराम यगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 02 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितिः–

1. श्री गणपतलाल चौधरी ..... अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से से
2. श्री मूलसिंह यादव ..... अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से
3. श्री पृथ्वीराजसिंह राणावत..... अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 08, 09 की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक 10-10-2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित आदेश 39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश–39 नियम 01, 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर ग्राम मुण्डारा तहसील बाली में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198 कुल खसरा–13 कुल रकबा 12.45 हैक्टर में मौके पर काबिज प्रार्थीगण के 1/8 हिस्सा में अप्रार्थी संख्या 01, 02 एवं 08, 09 किसी प्रकार की दखलन्दाजी वाद के निर्णय तक नहीं करे इस हेतु बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि वादपत्र के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि की वर्तमान रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने के साथ ही भूमि को आगे से आगे बेचान या अन्य तरह से हस्तान्तरण नहीं करने बाबत् आज्ञाप्ति जारी की जावे। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि वादग्रस्त भूमि मुण्डारा के हाल खसरा नंबर 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198 कुल खसरा–13 कुल रकबा 12.45 हैक्टर के हाल सैटलमेन्ट सम्वत् 2037 के पूर्व पुराने खसरा नंबर 926 रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 937 रकबा 45 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 941 रकबा 0 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 944 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 942 रकबा 0 बीघा 08 बिस्वा कुल रकबा 78 बीघा रहे है। जिस भूमि को **बेरा दीपावाला के** नाम से जाना पहचाना जाता रहा है। उक्त भूमि प्रथम सैटलमेन्ट संवत् 2009 के पूर्व तत्कालिन मुण्डारा ठिकाना के जागीरदार प्रतापसिंह पुत्र मोडसिंहजी कौम राजपूत के जागीर की भूमि थी, जिस भूमि पर बहैसियत उपभोक्ता व काश्तकार के रूप में **कुपा, लुम्बा पि. रूपा कौम सीरवी सा. देह 1/2, समो, फतो, गेनो, खूमो पि. सोभा सीरवी सा. देह 1/2 हिस्से** अनुसार काबिज होकर काश्त करते थे, जिस कारण प्रथम सैटलमेन्ट के समय पर्चा लगान सैटलमेंट विभाग द्वारा तारीख 05.02.1955 को ऐसीसटेन्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर बाली के हस्ताक्षरो से पर्चा नम्बर 23 जिल्द नं.1 के जरिये काश्तकारो के नाम जारी किया गया था। जो पर्चा लगान मयाद बन्दोवस्त सावणू सम्वत 2009 से उनालू सम्वत 2028 तक के लिये जारी किया गया। प्रमाण में असल परत की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई। प्रथम सैटलमेन्ट संवत् 2009 में शुरू हुआ तथा संवत् 2012 में पूर्ण हुआ। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा तमाम जागीरो को समाप्त करते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू किया, जिसकी धारा 15 व 19 के तहत जो व्यक्ति लागू होने काश्तकारी अधिनियम, 1955 मौके पर जहां काबिज था, उस भूमि के खातेदारी अधिकार उस कब्जेदार को प्राप्त हुए हैं। इसी के तहत प्रार्थीगण के **पूर्वज समा उर्फ समो पुत्र सोभाजी को भी वादग्रस्त भूमि में 1/8 हिस्से के खातेदारी** हक प्राप्त हो गये थे एवं इस बाबत् पर्चा लगान नंबर 23 जिल्द नंबर 01 के जरिये राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया। पर्चा लगान के आधार पर प्रथम खतौनी बन्दोवस्त बनाई गई, जिसमें पट्टा नंबर 1/23 का विशेष विवरण के कॉलम नं. 13 में विवरण दर्ज हैं। उक्त खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2009 से 2028 तक की बनाई गई, जो सैटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान के आधार बनाई। उपरोक्त खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2009 से 2028 में कॉल नंबर 04 उपभोक्ता का नाम व पिता का नाम इन्द्राज करते वक्त पर्चा लगान में दर्ज सभी व्यक्तियों का नाम लिख दिया गया, **लेकिन प्रार्थीगण के पूर्व समा उर्फ समो पुत्र सोभाजी का नाम लिखने से रहा गया।** उक्त गलती शायद पैन मिस्टेक से होना पाया जाता है, जो खतौनी बन्दोवस्त देखने मात्र से स्पष्ट हैं। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 एक ही पुर्वज सोभाजी के वारिसान होने से वंश वृक्षावली प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का एवं 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का होने व इसी अनुसार मौके पर भौतिक रूप से काबिज होना बताया।

पेज लगातार.....03

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :GCMS NO. 2022/86

अनवान स्व. समा पुत्र सोभाजी के कामु, स्व. वागाराम के कामु: मानाराम वगैरा **बनाम** स्व. फता पुत्र सोभाजी के कामु, गजाराम वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 02 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 03 की वंश वंशावली इस प्रकार बताई:–

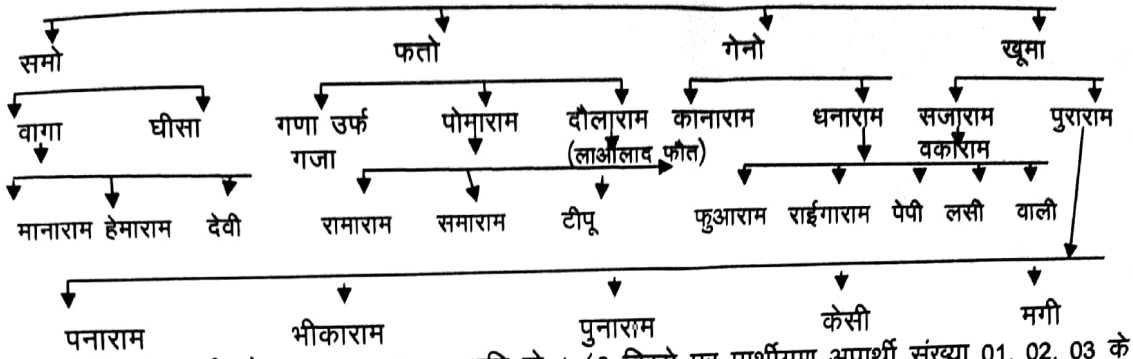

उक्त वंश वंशावली के अनुसार वादग्रस्त भूमि के 1/8 हिस्से पर प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 के साथ मौके पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के पूर्व से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण व उनके पूर्वजो ने समय समय पर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के साथ अपने बन्ट का लगान भी राज्य सरकार को अदा किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के साथ 1/2 हिस्से में बहिस्सा बराबर के खातेदारी हक पाने के अधिकारी हैं। अप्रार्थी संख्या 05 व 06 का वादग्रस्त भूमि में बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा आता हैं। वादग्रस्त भूमि मौके पर करीब 50 वर्ष पूर्व अलग–अलग बांटी गई है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने बन्ट में आई भूमि पर अलग अलग काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण के पास कुल आराजी का 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 01 के वारिशान के पास 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या–02 के पास 1/8 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 03 के वारिस 3/1 के वारिसान के पास 1/16 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 3/2 के फुटस्टेप पर आये अप्रार्थी संख्या 06 व 07 के पास 1/16 हिस्से का कब्जा व काश्त हैं। अप्रार्थी संख्या 04 के वारिसान के पास 1/4 हिस्से का व अप्रार्थी संख्या 05 के वारिसान के पास 1/4 हिस्से का कब्जा व काश्त हैं। इसी अनुसार प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा करने हेतु अप्रार्थीगण कहने के बावजुद तैयार नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा इन्ही हिस्सो अनुसार घोषणा खातेदारी, विभाजन व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया तथा साथ ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की कोशिश करने व भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 08 व 09 को कर दिया जाने से उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई सहारा नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनने, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने तथा अपुरणीय क्षति का मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य पर्चा लगान नंबर 23 जिल्द 01 की फोटो प्रति, खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2009 से 20028, जमाबंदी संवत् 2022 से 2025, 2026 से 2029, 2030 से 2033, मिलान क्षैत्रफल, खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2037 से 2056, जमाबंदी संवत् 2064 से 2066, 2076 से 2079 चालू, नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति, निर्वाचन नामावली 1966 ओर 1975 की प्रमाणित प्रति, ग्राम पंचायत मुण्डारा का वारिस प्रमाण पत्र 18/8/1983 की फोटो प्रति, फोटो प्रतियॉ विक्र विलेख कुल–03 22/12/21, 14/02/22, जमाबंदी नेट से निकाली हुई संवत् 2076 से 2079 की प्रति पेश की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील होने पर अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2/2, 1/2/3, 2/1, 2/2/2 लगाय 2/2/5 की ओर से अधिवक्ता श्री मूलसिंह द्वारा तथा अप्रार्थी संख्या 08 व 09 की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराजसिंह राणावत द्वारा पैरवी की गई। शेष अप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामील के वकालतन/ असालतन अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या–01 व 02 के अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब पैरा वाईज प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि के खसरा नंबर सही होना स्वीकार किया परन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में कब्जे व हक हकूक बाबत् उल्लेखित तथ्यो का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रथम सैटलमेन्ट संवत् 2009 के पूर्व तत्कालीन मुण्डारा ठिकाना के जागीरदार प्रतापसिंह पुत्र मोडसिंह कौम राजपुत के जागीर की भूमि होना तथा इस भूमि पर बहैसियत उपभोक्ता व काश्तकार के अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 05 के **पूर्वज कूपा, लुम्बा पि. रूपा 1/2 फतो गेनो, खुमो पि. सोमा 1/2 कौम सिरवी हिस्से मुजब काबिज होकर काश्त करते** थे, जो खतौनी बंदोवस्त संख्या 2009 से 2028 में इन्द्राज हैं। प्रार्थीगण ने गलत रूपेण बिना कब्जा काश्त, उपयोग, उपभोग एवं बिना पुश्तैनी खातेदारी इन्द्राज के **केवल मात्र पर्चा लगान सैटलमेन्ट विभाग में गलत इन्द्राज सैटलमेन्ट ऑफीसर के आधार पर** खातेदारी घोषणा व बंटवाडा क वाद अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया हैं, जबकि भू0प्रबन्ध विभाग को खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं हैं।

पेज लगातार.....04

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :GCMS NO. 2022/86

अनवान स्व. समा पुत्र सोभाजी के कामु. स्व. वागाराम के कामु. मानाराम वगैरा बनाम स्व. फता पुत्र सोभाजी के कामु. गजाराम वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 02 एवं धारा 151 सी.पी.

तथा **केवल मात्र पर्चा लगान सैटलमेन्ट में इन्द्राज के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती हैं।** जिससे प्राथीगण अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या–03 में उल्लेखित तथ्यो के सबंध में निवेदन किया कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1955 में तमाम जागीरो की जागीरे समाप्त कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लाग किया। जिसकी धारा 15 व 19 के तहत जो व्यक्ति मौके पर जहां काबिज था उस भूमि के खातेदारी अधिकार उस कब्जेदार को प्राप्त हुये। इसी के तहत अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 05 के पूर्वज **कूपा व लुम्बा पि. रूपा 1/2 , फतो, गेनो व खुमो पिसरान् सोमा 1/2 कौम सीरवी सा. देह** खातेदार का वादग्रस्त भूमि में कब्जा काश्त होने से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये जिससे राजस्व रेकर्ड खतौनी बंदोवस्त संवत् 2009 से 2028 में बतौर खातेदार के नाम इन्द्राज किया गया। तथा इनकी मृत्यु होने के बाद इनके वारिसान उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करने से वारिसान के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने गलत रूपेण पर्चा लगान सैटलमेन्ट में अपने पूर्वज समो पुत्र सोमाजी गलत रूपेण सैटलमन्ट विभाग द्वारा इन्द्राज के आधार पर तथा उक्त गलती पेन मिस्टेक से होना बताकर गलत वाद एवं प्रार्थना पत्र बिना कब्जा काश्त, बिना रेकर्ड में इन्द्राज के अप्रार्थीगण के विरूद्व करीब 70 वर्षो बाद पेश किया है, जो काबिल खारिज हैं। प्रार्थीगण के पूर्वज समो पुत्र सोमाजी का वादग्रस्त भूमि में न तो कभी खातेदारी में नाम इन्द्राज रहा है एवं न कभी मौके पर काश्त व कब्जा रहा है। वादग्रस्त भूमि में प्रारम्भ से **अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के पूर्वज फतो, गेना, खुमो पि. शोभा के 1/2 हिस्से** के हक अधिकार रहे है। अपने जवाब के समर्थन में अधिवक्ता अप्रार्थी श्री मूलसिंह यादव द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2009 से 2028 गांव मुण्डारा पुराने खसरा नंबर 926, 937, 941 से 944 बेरा दीपावाला की फोटो, जमाबंदी संवत् 2015 से 2018, खसरा गिरदावरी संवत् 2022 से 2025 तक की बेरा दीपावाला की नकले, खतौनी गांव मुण्डारा संवत् 2004 से 2005 की फोटो प्रतियॉ पेश की गई। तथा प्रस्तुत इन अभिलेखीय साक्ष्यो से प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, एवं अपुरणीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 08 व 09 के अधिवक्ता श्री पृथ्वीराजसिंह राणावत द्वारा पृथक से कोई जवाब पेश नहीं किया गया एवं बताया गया कि वे तो खरीदकर्ता है। अप्रार्थी पक्ष का जवाब प्रस्तुत होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि में जागीर के समय प्रार्थीगण के पुर्वज दादा **समा पुत्र सोभाजी 1/2 हिस्सा में फता, गेना,खुमा पिसरान् सोमा के साथ सह खातेदार दर्ज** रहे है। जो इन्द्राज इस प्रकार रहा है– **समो, फतो,गेनो, खूमो पिसरान् सोमा सिरवी सा. देह 1/2 हिस्सा** था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम् लागू होने के समय, मौके पर काबिज अनुसार, वादीगण के पूर्वज दादा को 1/8 हिस्स के खातेदारी हक प्राप्त हुये। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मुण्डारा के हाल खसरा नंबर 1178 से 1182 व 1191 से 1198 कुल खसरा–13 कुल रकबा 12.45 हैक्टर के 1/8 हिस्से में दर्ज अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के साथ पुश्तैनी हक हिस्से अनुसार प्रस्तुत घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के निस्तारण तक प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनने, सुविधा का संतुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनने से बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थीगण को उनके हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण बेदखल नहीं करे, तथा भूमि का अन्यत्र बेचान हस्तान्तरण नहीं करे। इस बाबत् रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति रखी जाने की दलील दी। बहस के दौरान् वकील प्रार्थी ने अप्रार्थी पक्ष के विरूद्व की गई निरोधात्मक कार्यवाही धारा 107, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता की आदेशिका मय चार्ज शीट की प्रति भी पेश की गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील प्रार्थीगण श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये गये :–

1. 2016 (2) RRT 1398 (H.C.)
2. 2012 (1) RRT 626 (H.C.)
3. 2011–12 (Supp.) RRT 462
4. 2009 (1) RRT 141

विद्वान् वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 श्री मूलसिंह यादव ने वकील प्रार्थी पक्ष की दलीलो का खण्डन करते हुये बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थीगण न तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान लागू हुये तब खातेदार दर्ज थे तथा न ही वर्तमान अधिकार अभिलेखों में वादग्रस्त भूमि में खातेदार दर्ज है। मन गढन्त तथ्यों के आधार पर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होने से पुर्व के इन्द्राजो को चुनौती दी गई है। जिसमें **केवल मात्र पर्चा लगान सैटलमेन्ट में इन्द्राज** को मुख्य आधार बनाया गया है, जबकि विधिक प्रावधानो के अनुसार सैटलमेन्ट विभाग को पुर्व के इन्द्राज को ही दोहराना मात्र होता है। इस प्रकार बिना किसी आधार के वाद व उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने से प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में है।, तथा सुविधा का सन्तुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी गई।

पेज लगातार...

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :GCMS NO. 2022/86

अनवान स्व. समा पुत्र सोभाजी के कामु. स्व. वागाराम के कामु: मानाराम वगैरा **बनाम** स्व. फता पुत्र सोभाजी के कामु. गजाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 02 एवं धारा 151 सी.पी

अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 श्री मूलसिंह यादव द्वारा निम्न कानूनी उद्हरण पेश किये गये:—

1. Teeja (Deceased) thr. L.R.& Ors v/s Babulal & Ors 2022(1) RRT 35 से 41
2. Oma Ram v/s Pema Ram &Ors 2022(1) RRT 120- 124
3. Tara chand v/s Kriparam 2014—2015 (Supp)RRT. 285—287
4. Mahadevi &Ors v/s Ram-Murti 2006(1) RRT 623—626
5. Dhanni v/s Ramu Ram 2006—2007 (Supp) 368—371
6. Soni Devi &Ors v/s M: thulal & Ors 2011(2) RRT. 1165&1166
7. Deen Dayal & Ors v/s Gyarsilal &Ors 2003(1) 382--384

तथा इन कानूनी उद्हरणो में प्रतिपादित सिद्वान्तो के अनुसार प्रथम दृष्ट्या मामला ही नहीं बनने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने की दलील दी। अप्रार्थी संख्या 08 व 09 के अधिवक्ता श्री पृथ्वीराजसिंह राणावत ने बहस में दलील दी कि उनके द्वारा अधिकार अभिलेखों में दर्ज खातेदारान् यथा पेपीबाई पुत्री धनाराम, फुआराम पुत्र धनाराम, राईगाराम पुत्र धनाराम, लसीबाई पुत्री धनाराम, वाली पत्नि धनाराम का हिस्सा तथा कानाराम पुत्र लकमाराम का हिस्सा एवं गणा पुत्र फताजी का हिस्सा बेचान प्रतिफल की राशि अदा करते हुये खरीद किया है। भूमि खरीद के समय प्रार्थीगण रेकर्ड में खातेदार ही दर्ज नहीं थे, जिससे अप्रार्थी संख्या 08 व 09 के विरूद्व प्रार्थीगण किसी प्रकार का वाद लाने के ही अधिकारी नहीं रहते है। जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 08 व 09 के विरूद्व बेअवसर होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया तथा उभय पक्ष वकुलाय की बहस एवं बहस के दौरान् प्रस्तुत कानूनी उद्धहरणो मे प्रतिपादित सिद्वान्तो पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा निर्धारित तीनो बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:—

1. प्रथम दृष्ट्या मामला बनना:—

प्रथम दृष्ट्या मामला बनने के परीक्षण का आधार राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम सैटलमेंट के समय की मिसल बंदोवस्त संवत् 2009 से 2028 में वादग्रस्त भूमि मुण्डारा के गत् खसरा नंबर 926, 937, 941, 944, 942, 943 कुल खसरा—06 जुमले रकबा में कुपा व लूम्बा पि. रूपा 1/2 फतो गेनो व खुमो पिसरान् सोमा 1/2 कौम सीरवी चौधरी सा. देह खातेदार दर्ज है। उक्त इन्द्राज को आगे से आगे बदी जमाबंदियो में दोहराया जाना भी प्रमाणित है। तथा द्वितीय सैटलमेंट के बाद हाल अधिकार अभिलेखों में उक्त खातेदारान् अथवा इनके वारिशान का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना प्रमाणित है। इस प्रकार रिकार्ड ऑफ जमाबंदी में टिनेंन्सी एक्ट के प्रावधान लागू होने के पुर्व से प्रार्थीगण व **उनके पुर्वज समो का नाम दर्ज नहीं** है। जिस तथ्य को प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता स्वयं स्वीकार करते है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में मुख्य आधार इस बिन्दु को लिया गया हैं कि वादग्रस्त भूमि जागीर के समय मुण्डारा के ठाकुर प्रतापसिंह पुत्र मोडसिंह राजपुत के खातेदारी की रही है। तथा जागीरे समाप्त होने पर टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू होने के समय प्रार्थीगण के **पुर्वज समा** भी अपने भाईयो के साथ हिस्सा अनुसार वादग्रस्त भूमि पर काबिज रहे है। तथा इसकी पुष्टि में प्रार्थीगण द्वारा पर्चा लगान जो भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् सैटलमेट विभाग द्वारा तैयार किया गया, उसकी प्रति पेश की है। **जिसमें कूपा, लुम्बा पि. रूपा कौम सीरवी सा देह 1/2 समो,फतो, गेनो, खूमा पि. सोभा सीरवी सादेह 1/2 दर्ज है।** तथा इसी को आधार बनाते हुये मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा स्व0 समा पुत्र सोभा के फुट स्टेप्स पर वादग्रस्त भूमि के 1/8 हिस्सा पर होने से घोषणा खातेदारी, विभाजन व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जहां तक भूमि पर कब्जे के प्रश्न का हैं, इसका विनिश्चयन बिना मौका रिपोर्ट के नहीं किया जा सकता। अप्रार्थीगण अपने जवाब में प्रार्थीगण का कब्जा नहीं मानते है, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा दिनांक 18.08.198 को जारी प्रमाण पत्र के अनुसार सोमा पुत्र सोभाजी जाति चौधरी 15 वर्ष पहले फौत हो चुका है, तथा उनके वारिश वागा व धीसा है। इसके साथ ही निर्वाचक नामावली वर्ष 1975 जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 31.12.1975 को हुआ है, उसमें बाली (166) विधान सभा क्षैत्र के भाग संख्या 91 में क्र0सं. 1050 व 1051 पर क्रमशः वागा पुत्र सोबा एवं कंकु पत्नि वागा का दर्ज होना भी प्रमाणित है। निर्वाचक नामावाली वर्ष 1966 में बाली (166) विधान सभा क्षैत्र के भाग संख्या 95 में क्र0 सं0 142 से 145 पर प्रार्थीगण व इनके परिवार के सदस्यो के नाम दर्ज होना भी प्रमाणित है। इस प्रकार जवाब में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वंश वंशावली व प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के आधार पर प्रार्थीगण के **पुर्वज समो पुत्र सोभाजी को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के पुर्वज फतो, गेना, खूमा पिसरान् सोभाजी का भाई मानने में कोई आपत्ति नहीं** है। वर्तमान प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला बनना नहीं पाया जाता है। परन्तु पर्चा लगान जो भू0प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान् सैटलमेट विभाग द्वारा तैयार किया गया, उसकी प्रति के अवलोकन से जाहिर है। कि **इसमें कूपा, लुम्बा पि. रूपा कौम सीरवी सा देह 1/2 समो,फतो, गेनो, खूमा पि. सोभा सीरवी सादेह 1/2 दर्ज है।**

पेज लगातार.....06

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :GCMS NO. 2022/86

अनवान स्व. समा पुत्र सोभाजी के कामु. स्व. वागाराम के कामु: मानाराम वगैरा **बनाम** स्व. फता पुत्र सोभाजी के कामु. गजाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 02 एवं धारा 151 सी.पी

तथा इसके आधार पर ही प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के 1/8 हिस्सा पर अपना कब्जा जाहिर करते है। इसके साथ ही प्रार्थीगण द्वारा दौरान् बहस प्रस्तुत धारा 107, 151 की पत्रावली की प्रति के अवलोकन से भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यो को बल मिलता हैं कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है। उक्त इस्तगासा से यह प्रमाणित हैं कि खरीदकर्ता अप्रार्थी संख्या 08 व 09 के द्वारा प्रार्थीगण के शांतिपुर्ण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की कोशिश करने से मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व खरीदकर्ताओ के मध्य विवाद होने से दोनो पक्षो को न्यायालय द्वारा परिशांति कायम रखने के लिये पाबन्द किया गया है। उक्त विवेचन से प्रथम दृष्ट्या मामला बनने के बिन्दु को आंशिक तौर पर प्रार्थीगण के पक्ष में तथा आंशिक तौर पर अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. **सुविधा का सन्तुलन :–**

बिन्दु संख्या–01 में किये गये विवेचन के अनुसार हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान लागू होने के समय से आदिनांक तक बतौर खातेदार नाम दर्ज नहीं रहा है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही होना अप्रार्थी पक्ष द्वारा बताया गया है। परन्तु प्रार्थीगण अपने वाद में जागीर समय से अपना काश्त व कब्जा प्रथम सैटलमेन्ट के समय सैटलमेंट विभाग द्वारा तारीख 05.02.1955 को ऐसीसटेन्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर बाली के हस्ताक्षरो से जारी पर्चा लगान पर्चा नम्बर 23 जिल्द नं.1 के आधार पर मानते है, तथा दलील में पर्चा लगान में दर्ज इन्द्राजं **कूपा, लूम्बा पि. रूपा कौम सीरवी सा. देह 1/2 समो, फतो, गेनो, खूमा पि. सोभा सीरवी सा. देह 1/2 के नाम** को आधार बनाते हुये घोषणात्मक व सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के साथ उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रस्तुत तथ्यो के अनुसार प्रार्थीगण के पुर्वज/ दादा **सोमा पुत्र सोभाजी** जाति चौधरी 15 वर्ष पहले फौत हो चुके है, तथा उनके वारिश वागा व घीसा है। जिसकी पुष्टि सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा दिनांक 18.08.1983 को जारी प्रमाण पत्र के अनुसार होती है। इसके साथ ही निर्वाचक नामावली वर्ष 1975 जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 31.12.1975 को हुआ है, उसमें बाली (166) विधान सभा क्षैत्र के भाग संख्या 91 में क्र0सं. 1050 व 1051 पर क्रमशः वागा पुत्र सोबा एवं कंकु पत्नि वागा का दर्ज होना भी प्रमाणित है। निर्वाचक नामावाली वर्ष 1966 में बाली (166) विधान सभा क्षैत्र के भाग संख्या 95 में क्रं0 सं0 142 से 145 पर प्रार्थीगण व इनके परिवार के सदस्यो के नाम दर्ज होना भी प्रमाणित है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाब में इस तथ्य का स्पष्ट खण्डन नहीं किया गया कि प्रार्थीगण उनके कुटुम्बी सदस्य नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वंश वंशावली व प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के आधार पर प्रार्थीगण के पुर्वज समो पुत्र सोभाजी को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के पुर्वज फतो, गेना, खूमा पिसरान् सोभाजी का भाई मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके साथ ही प्रकरण में यह भी स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रथम सैटलमेन्ट संवत् 2009 के पूर्व तत्कालिन मुण्डारा ठिकाना के जागीरदार प्रतापसिंह पुत्र मोडसिंहजी कौम राजपूत के जागीर की भूमि थी, जिस भूमि पर बहैसियत उपभोक्ता व काश्तकार के रूप में **कुपा, लुम्बा पि. रूपा कौम सीरवी सा. देह 1/2, समो, फतो, गेनो, खूमो पि. सोभा सीरवी सा. देह 1/2 हिस्से** अनुसार काबिज होकर काश्त करते थे, जिस कारण ही प्रथम सैटलमेन्ट के समय पर्चा लगान सैटलमेंट विभाग द्वारा तारीख 05.02.1955 को ऐसीसटेन्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर बाली के हस्ताक्षरो से पर्चा नम्बर 23 जिल्द नं.1 के जरिये काश्तकारो के नाम जारी किया गया था। जो पर्चा लगान मयाद बन्दोवस्त सावणू सम्वत 2009 से उनालू सम्वत 2028 तक के लिये जारी किया गया है। प्रथम सैटलमेन्ट संवत् 2009 में शुरू हुआ तथा संवत् 2012 में पूर्ण हुआ। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा तमाम जागीरो को समाप्त करते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू किया, जिसकी धारा 15 व 19 के तहत जो व्यक्ति लागू होने काश्तकारी अधिनियम, 1955 मौके पर जहां काबिज था, उस भूमि के खातेदारी अधिकार उस कब्जेदार को प्राप्त हुए हैं। इसी के तहत प्रार्थीगण के **पूर्वज समा उर्फ समो पुत्र सोभाजी को भी वादग्रस्त भूमि में 1/8 हिस्से के खातेदारी** हक प्राप्त हो गये थे एवं इस बाबत् पर्चा लगान नंबर 23 जिल्द नंबर 01 के जरिये राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया। पर्चा लगान के आधार पर प्रथम खतौनी बन्दोवस्त बनाई गई, जिसमें पट्टा नंबर 1/23 का विशेष विवरण के कॉलम नं. 13 में विवरण दर्ज हैं। उक्त खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2009 से 2028 तक की बनाई गई, जो सैटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान के आधार बनाई। उपरोक्त खतौनी बन्दोवस्त संवत् 2009 से 2028 में कॉलम नंबर 04 उपभोक्ता का नाम व पिता का नाम इन्द्राज करते वक्त पर्चा लगान में दर्ज सभी व्यक्तियों का नाम लिख दिया गया, **लेकिन प्रार्थीगण के पूर्व समा उर्फ समो पुत्र सोभाजी का नाम लिखने से रहा गया।** उक्त गलती शायद पैन मिस्टेक से होना भी संभाव्य है। तथा इसी को आधार बनाते हुये प्रार्थीगण द्वारा घोषणा खातेदारी, विभाजन, सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है, जिसके निस्तारण में समय लगेगा। इस दौरान् यदि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं होने के आधार पर खारिज किया जाता है, तो प्रार्थना पत्र खारिज होने पर भूमि के अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राजो के आधार पर भूमि का बेचान आगे आगे होता रहेगा, जैसा कि अप्रार्थी संख्या 08 व 09 के द्वारा भूमि खरीद कर किया गया है,

पेज लगातार.....07

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :GCMS NO. 2022/86

अनवान स्व. समा पुत्र सोभाजी के कामु. स्व. वागाराम के कामु: मानाराम वगैरा बनाम स्व. फता पुत्र सोभाजी के कामु. गजाराम वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 02 एवं धारा 151 सी.पी

तथा इससे प्रकरण में जटिलताएँ बढने व मौके पर विवाद की संभावनाओ से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। जिसकी पुष्टि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 107, 151 के प्रकरण की पत्रावली व उसमें पारित आदेश के अवलोकन से भी बखूबी होती है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के पुश्तैनी हक हिस्से व कब्जे के अनुसार हक अधिकार आते है अथवा नहीं ? इस बिन्दु का विनिश्चियन वाद के निर्णय से ही संभव होगा। क्यों कि विधिक प्रावधानो के अनुसार वाद कार्यवाही में दोनो पक्षो की साक्ष्य ली जावेगी, जिसमें रेकर्ड व साक्ष्यो के आधार पर प्रकरण जिसके पक्ष में साबित होगा वाद उसी अनुसार निर्णित होगा। इस प्रकार तथ्यो एवं साक्ष्यो के विवेचन के पश्चात् ही प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम निर्णय होगा। एवं साक्ष्यो व तथ्यो का विवेचन किये बिना प्रार्थीगण के उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना को खारिज किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी। इसके विपरित यदि मौके पर रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे अप्रार्थीगण को कोई असुविधा नहीं होगी, क्यों कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम वैसे भी दर्ज नहीं है। तथा वादग्रस्त भूमि के किसी भू0 भाग पर प्रार्थीगण का आज तक काश्त व कब्जा नहीं है तो उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आधार पर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकेगें। तथा साक्ष्यो के पश्चात् यदि प्रार्थीगण का वाद खारिज हो जाता है, तो अप्रार्थीगण के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडेगा। उक्त विवेचन से सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष व अप्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

3. अपुरणीय क्षति का मामला :-

बिन्दु संख्या 01 व 02 में किये विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि के अधिकार अभिलेखों में टिनेन्नसी एक्ट के प्रावधान लागू होने के समय से प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं है। परन्तु प्रार्थीगण अपने वादपत्र में मुख्य आधार ही यह लेकर आये हैं कि जागीर समय से अपना काश्त व कब्जा रहा है। प्रथम सैटलमेन्ट के समय सैटलमेंट विभाग द्वारा तारीख 05.02.1955 को ऐसीसटेन्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर बाली के हस्ताक्षरो से जारी पर्चा लगान पर्चा नम्बर 23 जिल्द नं.1 को आधार बनाते हुये पर्चा लगान में दर्ज इन्द्राजं **कूपा, लूम्बा पि. रूपा कौम सीरवी सा. देह 1/2 समो, फतो, गेनो, खूमा पि. सोमा सीरवी सा. देह 1/2 के नाम** को आधार मानते हुये घोषणात्मक व विभाजन व सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के साथ उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। तथा प्रस्तुत तथ्यो के अनुसार प्रार्थीगण के पुर्वज/ दादा **सोमा पुत्र सोभाजी** जाति चौधरी 15 वर्ष पहले फौत हो चुके है, तथा उनके वारिश वागा व घीसा है। जिसकी पुष्टि सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डारा द्वारा दिनांक 18.08.1983 को जारी प्रमाण पत्र के अनुसार होती है। इसके साथ ही निर्वाचक नामावली वर्ष 1975 जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 31.12.1975 को हुआ है, उसमें बाली (166) विधान सभा क्षैत्र के भाग संख्या 91 में क्रं0स. 1050 व 1051 पर क्रमशः वागा पुत्र सोबा एवं कंकु पत्नि वागा का दर्ज होना भी प्रमाणित है। निर्वाचक नामावली वर्ष 1966 में बाली (166) विधान सभा क्षैत्र के भाग संख्या 95 में क्रं0 सं0 142 से 145 पर प्रार्थीगण व इनके परिवार के सदस्यो के नाम दर्ज होना भी प्रमाणित है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाब में इस तथ्य का स्पष्ट खण्डन नहीं किया गया कि प्रार्थीगण उनके कुटुम्बी सदस्य नहीं है। इस प्रकार वर्तमान अधिकार अभिलेखों में प्रार्थीगण का नाम दर्ज होने से प्रथम दुष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होना मानते हुये यदि अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो प्रार्थना पत्र खारिज होने पर भूमि के अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राजो के आधार पर भूमि का बेचान आगे आगे होता रहेगा, जैसा कि अप्रार्थी संख्या 08 व 09 के द्वारा भूमि खरीद कर किया गया है, तथा इससे प्रकरण में जटिलताएँ बढने व मौके पर विवाद की संभावनाओ से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। जिसकी पुष्टि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 107, 151 के प्रकरण की पत्रावली व उसमें पारित आदेश के अवलोकन से भी बखूबी होती है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के पुश्तैनी हक हिस्से व कब्जे के अनुसार हक अधिकार आते है अथवा नहीं ? इस बिन्दु का विनिश्चियन वाद के निर्णय से ही संभव होगा। क्यों कि विधिक प्रावधानो के अनुसार वाद कार्यवाही में दोनो पक्षो की साक्ष्य ली जावेगी, जिसमें रेकर्ड व साक्ष्यो के आधार पर प्रकरण जिसके पक्ष में साबित होगा वाद उसी अनुसार निर्णित होगा। इस प्रकार तथ्यो एवं साक्ष्यो के विवेचन के पश्चात् ही प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम निर्णय होगा। एवं साक्ष्यो व तथ्यो का विवेचन किये बिना प्रार्थीगण के उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना को खारिज किया जाता है तो इससे प्रार्थीगण को भारी असुविधा एवं आर्थिक कठिनाईयो का सामना करना पडेगा। इसके विपरित यदि मौके पर रिकार्ड की यथा स्थिति कायम रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे अप्रार्थीगण को कोई असुविधा नहीं होगी, क्यों कि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम वैसे भी दर्ज नहीं है। तथा वादग्रस्त भूमि के किसी भू0 भाग पर प्रार्थीगण का आज तक काश्त व कब्जा नहीं है तो उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आधार पर कब्जा प्राप्त नहीं कर सकेगें। तथा साक्ष्यो के पश्चात् यदि प्रार्थीगण का वाद खारिज हो जाता है, तो अप्रार्थीगण के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडेगा। इसके विपरित प्रार्थना पत्र खारिज होने पर प्रार्थीगण को भारी आर्थिक कठिनाईयो से सामना करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। उक्त विवेचन उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

पेज लगातार....08

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :GCMS NO. 2022/86

अनवान स्व. समा पुत्र सोभाजी के कामु. स्व. वागाराम के कामु: मानाराम वगैरा **बनाम** स्व. फता पुत्र सोभाजी के कामु. गजाराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 02 एवं धारा 151 सी.पी

—:: आदेश::—

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओ को उपरोक्तानुसार निर्णित किये जाने के पश्चात् ग्राम वादग्रस्त भूमि मुण्डारा तहसील बाली के हाल खसरा नंबर 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198 कुल खसरा—13 कुल रकबा 12.45 हैक्टर के सबंध में पक्षकारो के मध्य कोई अन्यथा विवाद न हो, इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि के 1/8 हिस्से में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण दखलन्दाजी नहीं करे। इस हेतू रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखी जावे तथा भूमि का अन्यत्र बेचान/ हस्तान्तरण नहीं किया जावे। उक्त आदेश से अप्रार्थीगण पाबन्द हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल राजस्व वाद के संलग्न होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 10-10-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner